



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 519] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 21, 1989/श्रावण 30, 1911

No. 519] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 21, 1989/SRAVANA 30, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

पर्यावरण और वन मंत्रालय

(पर्यावरण, वन और वन्य जीव विभाग)

प्रधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 1989

का. प्रा. 656 (प्र):— केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय (पर्यावरण, वन और वन्य जीव विभाग) की अधिसूचना सं. का. प्रा. 394(अ), तारीख 16 अप्रैल, 1987 का संशोधन करती है।

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्यांक 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

1	2	3
"11. संयुक्त निदेशक (विभिन्न), पर्यावरण वन और वन्य जीव विभाग, पर्यावरण और वन मंत्रालय, नई दिल्ली—110003		संपूर्ण भारत"

[मि. सं. न्यु.—14012/1/89 सी. पी. ए.]

डा. जी. सुन्दरम, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

(Department of Environment, Forests & Wildlife)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st August, 1989

S.O. 656(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby amends the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests (Department of Environment, Forests and Wildlife) No. S.O. 394(E) dated the 16th April, 1987.

In the said notification, in the Table, after serial No. 10 and the entries relating thereto, the following serial No. and entries shall be inserted, namely:—

1	2	3
"11. Joint Director (Legal) in the Department of Environment, Forests and Wildlife, Ministry of Environment and Forests, New Delhi-110 003.		Whole of India."

[F. No. Q-14012/1/89-CPA]

DR. G. SUNDARAM, Jt. Secy.